225

समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.कं. 15/निगरानी

1—नारायण पुत्र छुट्टी सिंह अहीर
(मृतक के वारिसान)
1/1—मु.विद्याबाई बेवा नारायण सिंह अहीर
1/2—हाकिम पुत्र नारायण सिंह अहीर
1/3—जयवीर पुत्र नारायण सिंह अहीर
1/4—मुकेश पुत्र नारायण सिंह अहीर
1/5—अनेक सिंह पुत्र नारायण सिंह अहीर
1/6—छाया पुत्री नारायण सिंह अहीर
2—श्यामादेवी पत्नी वीरेन्द्र सिंह ठाकूर
3—सुनीता पत्नी राकेश जाति ठाकूर
4—मीना पुत्री छोटेसिंह जाति ठाकूर
समस्त निवासी ग्राम पनवाडा तह. कराहल
जिला श्योपुर म.प्र.

.....आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 08.12.15 पारित न्यायालय अपर कलेक्टर श्योपुर म.प्र. के प्र.क. 04/2010—11/स्वमेव निगरानी

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य :— यह कि ग्राम पनवाडा की भूमि सर्वे नं. 280/1/ख रकबा 0.314 हे., सर्वे नं. 563/1/मि. 1 रकबा 0.523 हे. कुल किता 2 रकबा 0.837 हे. भूमि पर नारयणसिंह पुत्र छुट्टी सिंह जाति अहीर को पट्टा प्राप्त हुआ तथा ग्राम की भूमि सर्वे नम्बर 156 मिन. 7 में से रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा पर श्यामादेवी पत्नी वीरेन्द्र सिंह तथा भूमि सर्वे नम्बर 154 में से 8 बीघा 13 बिस्वा, सर्वे नं. 156 में से रकबा 12 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा का पट्टा सुनीता पत्नी राकेश को प्राप्त हुआ था। इसीप्रकार सर्वे नं. 154 में से रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा एवं सर्वे नं. 156 में से रकबा 12 बिस्वा कुल किता 02

क्रमशः0.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 52/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21.10.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 4/2010–11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि तहसीलदार कराहल द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अ–19/04–05 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2005 से ग्राम पनवाड़ा में स्थित भूमि का व्यवस्थापन म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत किया गया था। जिसके संबंध में शिकायत के आधार पर उक्त व्यवस्थापन की जॉच सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख से करायी गयी। तथा उनके द्वारा अपना प्रतिवेदन अपर कलेक्टर श्योपुर को भेजा गया था जिसके आधार पर अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा स्वमेव निगरानी में दर्ज कर आदेश दिनांक 08.12.2015 को तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का	

अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा लम्बे समय पश्चात् स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर आवेदक के हित में किये गये व्यवस्थापन को निरस्त किया है। जो वैधानिक प्रक्रिया नहीं है क्योंकि लम्बे समय पश्चात् स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रस्तुत की जाये एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर श्योपुर का आदेश निरस्त किया जाये।

अनावेदक की ओर से उपस्थित शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि अपर कलेक्टर जिला श्योपुर वर्तमान प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह अपने स्थान पर विधिवत् एवं सही है तथा अपर कलेक्टर न्यायालय को स्वमेव शक्तियों का प्रयोग किये जाने का पूर्ण अधिकार है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो आदेश पारित किया है। वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखा जाये तथा वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को तथा संलग्न दस्तावेजो से स्पष्ट है कि तहसीलदार कराहल द्वारा भूमि का व्यवस्थापन आवेदकगणों के हित में किया गया है जिसके संबंध में विधिवत् प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। सभी आवेदकगण ग्राम पनवाड़ा के निवासी नहीं है बल्कि ग्राम कराहल एवं अन्य स्थानों के निवासी है। ये सभी कृषि श्रमिक एवं भूमिहीन की श्रेणी में नहीं है इनके पास पूर्व से ग्राम में भूमि है। ऐसी स्थिति में वह कृषि श्रमिक व भूमिहीन

की श्रेणी में नहीं आते। इस संबंध में कोई विधिवत् जॉच नहीं की गयी है सभी आवेदनकर्ताओं द्वारा एक साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है। तथा उनपर प्रस्तुती का कोई दिनांक अंकित नहीं है सभी आवेदन पत्र एक ही राइटिंग में लिखे गये है भूमि का रकवा भी एक ही शैली में लिखा गया है जो सामान्यतः आम व्यक्ति की शैली नहीं होती इससे प्रतीत होता है कि सभी आवेदन पत्र किसी एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में भरवाकर प्रस्तुत किये गये हैं। तथा एक ही दिनांक में पंजीबद्व कर सामूहिक आदेश द्वारा समबंधितों को भूमि स्वामी घोषित किया गया है। उक्त आदेश पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर पारित किया गया है जबकि प्रतिवेदन में कोई दिनांक नहीं है और न ही संबंधित पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रतिवेदन एक सादा कागज पर है जो साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है। स्वतंत्र साक्षियों के कथन नहीं लिये गये है तथा प्रश्नाधीन भूमियों पर कब्जे के संबंध में कोई जॉच नहीं की गयी है दावे आपत्तियॉ तथा विज्ञाप्ति का प्रकाशन किस दिनांक को किया गया है जिसका कोई उल्लेख नहीं है अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत कृषि श्रमिकों को भूमि स्वामी अधिकार दखल रहित भूमि पर दिये जाने का प्रावधान है कृषि श्रमिक की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 (क) के अन्तर्गत दी गयी है जिसमें कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई भूमि धारण न करता हो और उसकी जीविका का मुख्य साधन शारिरिक श्रम करना हो। और जो ऐसे कुटुम्ब का सदस्य न हो। जिसका कोई भी अन्य सदस्य भूमि धारण न करता हो विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर ऐसे व्यक्तियों को भूमि स्वामी स्वत्व पर भूमि दी गयी है जो पूर्व से ही भूमि स्वामी थे। अधिनियम की धारा

7 के अन्तर्गत भूमिहीन की परिभाषा दी गयी है जिसके अन्तर्गत दो हैक्ट्यर भूमि धारण करने वाला व्यक्ति अकेले या अपने कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के साथ भूमिहीन कहलाता है अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत भूमिहीन व्यक्ति पर ही अधिनियम के उपबंध लागू होते है। विचारण न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को भूमि आंवटित की गयी है जो भूमिहीन की श्रेणी में नही आते है अर्थात् उनके पास स्वंय अथवा कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के पास 2 है0 भूमि पूर्व से थी। विचारण न्यायालय द्वारा न केवल अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी कर भूमि आवंटित की गयी है। अपितु एक ही प्रकरण में मॉ और पुत्र शांति देवी एवं विष्णु को भूमि को आवंटित की गयी है तथा दूसरे प्रकरण में महेश पुत्र शंकरलाल को पूर्व में ही भूमि सर्वे क्रमांक 280/1 मि1ख रकवा 1.986 है0 भूमि आवंटित की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा दूसरे प्रकरण से आवंटित भूमि की अनदेखी कर ऐसे परिवार को भूमि आवंटित की गयी है जो भूमिहीन की श्रेणी में नही आता अधिनियम में ऐसे कृषि श्रमिकों भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करने के लिये बना है। जो 2 अक्टूबर 1984 को किसी कृषि भूमि पर काबिज हो। आवेदकगणों के भूमि कब्जे की अवधि को स्पष्ट रूप से उल्लखित नहीं किया गया है। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानो का उल्लंघन कर समुचित जॉच किये बिना हस्ताक्षरित प्रतिवेदन पर विश्वास कर गॉव के बाहर के व्यक्तियों को भूमि स्वामी अधिकार पर भूमि व्यवस्थापित की गयी है। इस प्रकार अवैध तरीके से कुछ ही व्यक्तियों को भूमि आवंटित कर अपात्र व्यक्तियों को अवैध लाभ पहुँचाया गया है। तेजसिंह को भूमि आवंटित की गयी है जिसके नाम से पूर्व से ही ग्राम पनवाडा में 4.850 है0 भूमि थी। इसी

प्रकार विष्णु एवं शांति बाई जो पुत्र एवं माता है को पृथक–पृथक भूमि आंवटित की गयी है। जबकि इनके परिवार में पूर्व से ही पुत्र एवं माता के नाम 5.497 है0 भूमि ग्राम पनवाडा में थी इसके अतिरिक्त अन्य आवंटिती ग्राम पनवाडा के निवासी नहीं है इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा विधि एवं प्रक्रिया का उल्लंघन कर अपात्र व्यक्तियों को भूमि स्वामी अधिकार में भूमि आंवटित की गयी है। जो किसी भी स्थिति में वैधानिक नहीं है। उपरोक्त तथ्यों पर विधिवत् विचार करने के पश्चात् अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वंह अपने स्थान पर विधिवत् एव सही है ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 स्थिर रखा जाता है। तद्नुसार निगरानी निरस्त की जाती है।

सदस्य